संख्याः 1555 /35–1–2009–5/31(3)/85

प्रेषक,

अजय दीप सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशिक्षण प्रभाग,
राज्य नियोजन संस्थान, उ0प्र0,
लखनऊ।

नियोजन अनुभाग–1 *लखनऊः दिनांकः 20 अक्टूबर, 2009*

विषयः प्रशिक्षण सत्रों में मानदेय, शुल्क आदि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–493/सात–45/प्र0प्र0, दिनांक 10 अगस्त, 2009 तथा पार्श्वांकित शासनादेशों में आंशिक संशोधन करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय इस आदेश के जारी होने की तिथि से उक्त शासनादेशों में निम्नलिखित मद के लिए निर्धारित दर को निम्नवत संशोधित किए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:–

1–शासनादेश संख्याः 1503/सात–203/मू.प्र.प्र., दिनांक 29.8.1979
2–कार्यालय ज्ञाप संख्या–यू0ओ0–03/35–1–85, नियोजन–1, दिनांक 29 मार्च, 1985
3–शासनादेश संख्याः 5/31(3)/85, दिनांक 05.10.89
4–शासनादेश संख्याः 1631/35–1–2002– 5/31(3)/85, दिनांक 18 नवम्बर, 2002

मद	वर्तमान दर	संशोधित दर
प्रशिक्षणार्थियों के लिए सेशन टी तथा मध्याह्न वर्किंग लन्च	रू0 40/– (चालीस) प्रति व्यक्ति प्रतिदिन	रू0 75/– (पचहत्तर) प्रति व्यक्ति प्रतिदिन

2– उक्त प्रस्तर–1 में उल्लिखित शासनादेश इस सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे और उनमें उल्लिखित अन्य शर्तें यथावत् बनी रहेंगी।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अशा0सं0–G-1-695/दस–2009, दिनांक 13.10.09 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(अजय दीप सिंह)
विशेष सचिव।

कृ0पृ0उ0

संख्याः 1555 (1)/35–1–2009–5/31(3)/85, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी–प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।

2– वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग–5

3– वित्त (सामान्य) अनुभाग–1

4– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(धीरेन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव।